**क्यू/हिन्दी/621/10/2010**

**भारत सरकार**

**विदेश मंत्रालय**

****

**विदेश मंत्रालय से संबन्धित विषयों पर हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए "कौटिल्य पुरस्कार" योजना**

विदेश मंत्रालय से संबन्धित विषयों पर हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए विदेश मंत्रालय में वर्ष 2007 से हर वर्ष "कौटिल्य पुरस्कार योजना" लागू है। इस विज्ञापन द्वारा मंत्रालय वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 के लिए "कौटिल्य पुरस्कार" नामक योजना के तहत भारत के नागरिकों से पात्र प्रविष्टियाँ आमंत्रित करता है। इस योजना के तहत 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2013 तथा 01 अप्रैल 2013 से 31 मार्च, 2014 (दो वर्षों के लिए अलग-अलग) तक लिखी/प्रकाशित पुस्तकें विचारार्थ भेजी जा सकती हैं। इसके लिए निम्नलिखित पुरस्कारों का प्रावधान है :

(क) प्रथम पुरस्कार - 1,00,000/- रूपए और प्रशस्ति
(ख) द्वितीय पुरस्कार - 60,000/- रूपए और प्रशस्ति
(ग) तृतीय पुरस्कार - 40,000/- रूपए और प्रशस्ति

पुरस्कारों के संबंध में विदेश मंत्रालय का निर्णय अंतिम और मान्य होगा तथा इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। मंत्रालय से संबन्धित विषयों की विस्तृत जानकारी एवं निर्धारित प्रपत्र नीचे दिए गए हैं।

इच्छुक लेखक अपनी प्रविष्टियों की 5-5 प्रतियां तथा निर्धारित प्रपत्र को विधिवत भरकर निश्चित रूप से इस विज्ञापन के प्रकाशन होने की तारीख से एक माह के भीतर पुस्तकों पर समीक्षा/प्रतिक्रियाओं की प्रति सहित यदि कोई हो, निम्न पते पर भेज सकते हैं:-

**सुश्री सुनीति शर्मा,**
**उप सचिव (हिंदी)**
**विदेश मंत्रालय, कमरा सं. 235 (एन)**
**साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली - 110011**
**फोन: 011-23013889**

## विदेश मंत्रालय से संबन्धित विषयों पर हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए "कौटिल्य पुरस्कार" योजना

**प्रविष्टि प्रपत्र**

1. लेखक/लेखकों का पूरा नाम :

2. पिता/पति का नाम :

3. वर्तमान डाक पता :

4. पुस्तक/पांडुलिपि का शीर्षक :

5. प्रकाशित पुस्तक का प्रकाशन वर्ष :

6. क्या आपने संलग्न घोषणा प्रपत्र पर विधिवत हस्ताक्षर किए हैं?

7. क्या पुस्तक/टंकित पांडुलिपि की पांच प्रतियां संलग्न हैं?

   (भेजी गई प्रतियां लौटाई नहीं जाएंगी)

8. क्या पुस्तक/पांडुलिपि का सारांश संलग्न है?

9. मैं/और हम प्रमाणित करता हूं/करते हैं कि

   I) मैं/हम भारतीय नागरिक हूं/हैं।

   II) यह पुस्तक मैंने/हमने मूल रूप से हिन्दी में लिखी है।

   III) इस योजना में मेरी/या हमारी पुस्तक को शामिल करने से किसी अन्य व्यक्ति के कापी राइट अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है।

मैं/हम विदेश से संबंधित विषयों पर हिंदी में मूल पुस्तकें लिखने की योजना के प्रावधानों और विनियमनों का पालन करने की प्रतिज्ञा करता हूं/करते हैं।

हस्ताक्षर : ....................................................................

नाम : ....................................................................

पता : ....................................................................

स्थानः

दिनांकः

टिप्पणीः

1) इस प्रपत्र को विधिवत भरकर पुस्तक/पांडुलिपि की पांच प्रतियों के साथ परिपत्र/विज्ञापन में दिए गए पते पर भेजें।

2) लेखक/लेखिका द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित पुस्तक का सार भी पांच प्रतियों में संलग्न किया जाए।

**विदेश मंत्रालय के कार्यक्षेत्र में आने वाले विषयों की सांकेतिक सूची**

1. भारत का सांस्कृतिक राजनय
2. भारत की मध्यपूर्व नीति
3. गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता
4. एक ध्रुवीय विश्व में भारत की भूमिका
5. ग्लोबल विलेज की संकल्पना
6. धार्मिक कट्टरवाद और आधुनिक विश्व
7. भारत की पारंपरिक विदेश नीति
8. भारत के पड़ोसी देश
9. दक्षिण पूर्व एशिया और प्रशांत
10. पूर्वी एशिया
11. यूरेशिया
12. खाड़ी, पश्चिमी एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका
13. अफ्रीका
14. यूरोप
15. अमरीका
16. संयुक्त राष्ट्र एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन
17. बहुपक्षीय आर्थिक संबंध
18. विदेश प्रचार

*****